राष्ट्रीय संस्करण

काइली जेनर बनीं दुनिया की सबसे युवा अरबपति
>>11

वर्ष 2 अंक 270

मूल्य ₹5.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 7 मार्च 2019

दैनिक जागरण

www.jagran.com

पृष्ठ 14

सरोकार

पत्तों से संवर रही थारू महिलाओं की जिंदगी

बलरामपुर : थर्माकोल व प्लास्टिक के कप-प्लेट पर पाबंदी लगने के बाद बाजार में पत्तों के बने दोने-पत्तलों की मांग बढ़ी तो थारू जाति की महिलाओं ने इस अवसर को आजीविका का साधन बना लिया। पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर इस जनजाति के आय के संसाधन प्राकृतिक ही रहे हैं। (पेज-13)

जागरण विशेष

कुंभ खत्म होते ही फिर मैली होने लगी गंगा

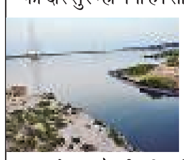

कानपुर : कुंभ खत्म होते ही गंगा की दुर्गति का दौर शुरू हो गया है। साधु-संतों के दबाव के बीच कुंभ के दौरान गंगा में नालों का गिरना बंद कर दिया गया था। अब यह फिर शुरू हो गया है। तीन दिन से गंगा में नालों की गंदगी सीधे गिर रही है। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

सवा सौ करोड़ जनता मेरे साथ मैं पाक से नहीं डरता : मोदी

कलबुर्गी (कर्नाटक) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के सवा सौ करोड़ लोग उनके साथ हैं, वह पाक से नहीं डरते। उन्होंने कहा, पाक में आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक इसलिए हो सकी क्योंकि सवा सौ करोड़ लोग उनके साथ थे। भारत में दम है और उसकी वजह उसकी सवा सौ करोड़ जनता है।

रिपोर्ट कार्ड ▸ पृष्ठ 4

हर दिन 13 हजार से अधिक गरीबों का हो रहा है मुफ्त इलाज

नई दिल्ली : भारत में आयुष्मान योजना के तहत रोज 13 हजार गरीब बीमारों का मुफ्त इलाज...। यह बड़ा आंकड़ा है, लेकिन दुखद पहलू यह है कि योजना भी सियासी दंगल में फंस चुकी है। बड़े अस्पतालों की जहां इसमें रुचि नहीं है, वहीं वेलनेस सेंटरों की गति को लेकर सरकार कछुआ चाल चल रही है।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 6

डायनामाइट से उड़ाया जाएगा नीरव का 25 करोड़ का बंगला

मुंबई : हीरा व्यवसायी नीरव मोदी का अलीबाग स्थित 25 करोड़ की लागत वाला आलीशान बंगला शुक्रवार सुबह डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। नीरव 13 हजार करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में आरोपित है। अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ फरार नीरव का यह बंगला रायगढ़ स्थित पर्यटन स्थल अलीबाग के किहिम बीच पर स्थित है।

आजकल ▸ पृष्ठ 14

छोटे बच्चों को हिंदी-अंग्रेजी सिखाएगा गूगल का 'बोलो' एप

नई दिल्ली : तकनीकी दिग्गज गूगल ने बुधवार को एक नया एप 'बोलो' लांच किया। यह एप प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सीखने में मदद करेगा। यह एप आवाज पहचानने की तकनीक और टेक्स्ट-टू-स्पीच (आवाज सुनकर लिखने की सुविधा) तकनीक पर आधारित है। पूरी तरह से निःशुल्क इस एप को सबसे पहले भारत में लांच किया गया है।

बालाकोट में निशाने पर गिरे 80 फीसद बम, वायुसेना ने सौंपे सुबूत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

बालाकोट में जैश-ए-मुहम्मद के आतंकी अड्डों को तबाह करने के लिए पाकिस्तान में घुसकर की गई एयर स्ट्राइक पर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को वायुसेना ने केंद्र सरकार को एयर स्ट्राइक से जुड़े सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं। इनमें एयर स्ट्राइक की तस्वीरें भी शामिल हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि किस तरह उनके अधिकतर निशाने सही लगे हैं।

सूत्रों की मानें तो वायुसेना ने सरकार को 12 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। इसमें बालाकोट के उस क्षेत्र की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भी साझा की हैं। हालांकि, यह रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, इसका फैसला मोदी सरकार ही लेगी। रिपोर्ट के अनुसार, बालाकोट में उनके 80 फीसद निशाने सही लगे हैं। जिन बमों को दागा गया, वे वहां मौजूद इमारतों के सीधे अंदर गए हैं, यही कारण है कि जो भी तबाही हुई है वह अंदर ही हुई है। जिन मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है, उन्होंने सीधे छत को भेदा। लिहाजा वहां मौजूद सभी टारगेट तबाह हो गए।

▸ बालाकोट पर 12 पेज की रिपोर्ट में एयर स्ट्राइक की तस्वीरें भी शामिल

बालाकोट में जैश के ठिकाने की फाइल फोटो

अभिनंदन ने ही मार गिराया था एफ-16 : 27 फरवरी को भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान के एफ-16 युद्धक विमान को विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने ही अपने मिग-21 बाइसन में लगी आर-73 मिसाइल से मार गिराया था। मिग-21 बाइसन के क्रैश होने से पहले भेजे अंतिम रेडियो संदेश में अभिनंदन ने बताया था कि उन्होंने पाकिस्तानी विमान पर निशाना लगाकर उसे लॉक कर दिया है।

26 फरवरी को हुई थी एयर स्ट्राइक : 14 फरवरी को जैश ने पुलवामा में हमला करवाया था, जिसके खिलाफ भारतीय वायु सेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान में घुसकर जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक दावा कर रहा था कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ पेड़ ही गिरे हैं।

वायु सेना ने दिया था जवाब : वायुसेना ने कहा था कि उनका मिशन पूरी तरह से सफल रहा, ऐसे में सुबूतों को सामने रखने का फैसला सरकार को ही करना है। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा था कि अगर पाक का कुछ नुकसान नहीं हुआ है तो उनकी वायु सेना हमारे इलाके में क्यों आई और वहां इस तरह की हलचल क्यों है।

जारी है राजनीतिक बयानबाजी : विपक्ष के कई नेता मांग कर चुके हैं कि केंद्र सरकार को एयर स्ट्राइक के सुबूतों को सामने रखना चाहिए। कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह, मनीष तिवारी के अलावा शिवसेना ने भी एयर स्ट्राइक के सच को जनता के सामने रखने की बात कही थी। हालांकि, सरकार और भाजपा का कहना है कि विपक्षी दल सेना का मनोबल गिराने का काम रही हैं।

पाकिस्तान पस्त (विशेष पेज) >> पेज 5
दबाव से उबरने न पाए पाकिस्तान >> पेज 8

एफ-16 ने 40-50 किमी दूर से बनाया था भारतीय विमानों को निशाना

एयर स्ट्राइक से तिलमिलाए पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। इसके लिए उसने न सिर्फ एफ-16 का उपयोग किया था, बल्कि 40 से 50 किमी की दूरी से भारत के सुखोई-30 और मिग-21 को निशाना बनाकर चार से पांच अमेरिकी मिसाइलें (अमराम) दागी थीं। पाक के पास मौजूद लड़ाकू विमानों में से सिर्फ एफ-16 में ही इस मिसाइल से हवा में हमला करने की क्षमता है। हालांकि पाक लगातार इससे इन्कार कर रहा है कि उसकी वायु सेना ने एफ-16 का उपयोग किया है। इस दौरान भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ दिया था और एक एफ-16 को मार गिराया था। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान की मंशा भारतीय सैन्य ब्रिगेड को नष्ट करने की थी।

पाकिस्तानियों को अब सिर्फ एक साल का वीजा देगा अमेरिका

इस्लामाबाद, प्रेट्र : अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के अपने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा वैधता को पांच साल से घटाकर एक साल कर दिया गया है। इसके साथ ही वीजा शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को आतंकियों की पनाहगाहों को लेकर पूरे विश्व की आलोचना झेल रहे पाकिस्तान के लिए करारा झटका माना जा रहा है। इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा कि एच, आई, एल और आर श्रेणी के लिए वीजा शुल्क बढ़ाया गया है। अस्थायी रूप से अमेरिका में काम करने के लिए एच और पत्रकारों को आइ श्रेणी का वीजा जारी किया जाता है। धार्मिक कार्यकर्ताओं को आर श्रेणी में वीजा दिया जाता है। अब आई श्रेणी के वीजा के लिए 32 डॉलर और अन्य के लिए 38 डॉलर अलग से चुकाने होंगे। इस वीजा का शुल्क पहले 160 डॉलर (करीब 11 हजार रुपये) था। नए नियमों के तहत पाकिस्तानी पत्रकार बिना यात्रा अनुमति के अमेरिका में तीन महीने से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। अमेरिकी पत्रकारों को पाकिस्तान भी तीन महीने का वीजा ही जारी करता है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान अपने वीजा नियमों को लचीला नहीं कर रहा था। इसी के चलते अमेरिका को भी अपने वीजा नियम सख्त करने पड़े।

बड़ी सुनवाई ▸ सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पर फैसला सुरक्षित रखा

अयोध्या संपत्ति का विवाद नहीं, आस्था का मामला

शीर्ष अदालत ने पक्षकारों से पैनल के लिए मांगे नाम

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, यह बेहद संवेदनशील मामला है। इसका असर सभी पर होगा। यह सिर्फ संपत्ति विवाद नहीं है, यह लोगों की आस्था, विश्वास व भावनाओं से जुड़ा मामला है। क्या नतीजा निकलेगा इस पर कोर्ट नहीं सोच रहा है, वह सिर्फ विवाद सुलझाने पर विचार कर रहा है। विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के मसले पर पक्षकारों की गरमागरम बहस सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और पक्षकारों से मध्यस्थता पैनल के लिए नाम देने को कहा है।

राजनीतिक और सामाजिक रूप से बेहद संवेदनशील अयोध्या मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों (एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर) की पीठ कर रही है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने अयोध्या विवाद को अदालत द्वारा नियुक्त मध्यस्थता के जरिये सुलझाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि उसी दिन निर्मोही अखाड़ा को छोड़कर हिंदू पक्ष ने प्रस्ताव से असहमति जताई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष राजी था।

बुधवार को कोर्ट मामला मध्यस्थता के लिए भेजने पर फैसला सुनाने वाला था, लेकिन हिंदू महासभा के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि यह केस रीप्रेजेंटेटिव सूट है इसे मध्यस्थता के लिए भेजने से पहले दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के तहत पब्लिक नोटिस निकालना पड़ेगा। समझौते का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि जमीन रामलला की है। देवता की जमीन का समझौता कोई नहीं कर सकता। अगर कोर्ट मामला मध्यस्थता के लिए भेजता है तो उसे कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा। इस पर जस्टिस भूषण ने कहा, यह नियम तभी लागू होता है जब कोर्ट मध्यस्थता करे। यहां तो कोर्ट मामला मध्यस्थ को भेजेगा इसलिए पब्लिक नोटिस के प्रावधान यहां लागू नहीं होंगे। जैन ने कहा, यह जमीन भगवान राम की है मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के लिए सहमत हो सकता है, लेकिन हिंदू इससे सहमत नहीं हैं। इस पर जस्टिस बोबडे ने कहा, आप पहले से ही नतीजा निकाल रहे हैं कि मध्यस्थता सफल नहीं होगी। कोर्ट कोई नतीजा नहीं सोच रहा। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ समझौता बाध्यकारी होने के पेंच से चिंतित दिखे, जबकि जस्टिस बोबडे का कहना था कि जैसे कोर्ट का आदेश सब पर बाध्यकारी होता है वैसे ही समझौते के बाद कोर्ट डिक्री पारित करेगा और वो सब पर बाध्यकारी होगी।

यह है मामला : 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या में रामजन्म भूमि को रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। फैसले को सभी पक्षों ने 14 अपीलों के जरिये चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिलहाल मामले में यथास्थिति कायम है।

इतिहास पर नियंत्रण नहीं। बाबर ने क्या किया, उस पर नियंत्रण नहीं। हम सिर्फ मौजूदा विवाद को हल करने का प्रयास कर रहे हैं।

रामलला को मध्यस्थता स्वीकार नहीं

रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा, राम जन्मस्थान दूसरी जगह नहीं हो सकता। मध्यस्थता से मसला तय नहीं हो सकता। अगर मस्जिद दूसरी जगह बनवानी हो तो वह पैसा एकत्र करके बनवा देंगे। उप्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा, मामला मध्यस्थता के लिए भेजने का नहीं लगता।

...लेकिन मुस्लिम पक्ष ने फिर किया समर्थन

मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने बुधवार को भी मामला सुलह के लिए मध्यस्थता को भेजे जाने का समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट को मध्यस्थता की संभावित शर्तें तय करने की जरूरत नहीं है। निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील जैन ने भी फिर मध्यस्थता का समर्थन किया।

बाबर ने क्या किया उस पर हमारा नियंत्रण नहीं

हरिशंकर जैन ने कहा, मुस्लिम आक्रांता बाबर ने राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। जस्टिस बोबडे ने कहा कि उन्हें इतिहास पता है। इतिहास पर उनका नियंत्रण नहीं है। बाबर ने क्या किया इस पर उनका नियंत्रण नहीं है, वह मौजूदा हालात में विवाद हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

भूमि अधिग्रहण ने मामला राष्ट्रीय बनाया

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा, अयोध्या भूमि अधिग्रहण के बाद मामला राष्ट्रीय हो गया है। सरकार अधिगृहित जमीन किसी को भी दे सकती है। नरसिम्हा राव सरकार ने वादा किया था कि अगर वहां मंदिर निकला तो जमीन हिंदुओं को दे दी जाएगी। एएसआइ रिपोर्ट में मंदिर पाए जाने की बात है।

मीडिया न करे मध्यस्थता की रिपोर्टिंग

कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पूरी तरह गोपनीय रहनी चाहिए। मीडिया को मध्यस्थता प्रक्रिया की कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि इसे मीडिया को चुप कराना नहीं माना जाए। धवन ने कहा कि गोपनीयता भंग करने को न्यायालय की अवमानना माना जाए। सुब्रह्मण्यम स्वामी और राम भक्तों की ओर से दाखिल रिट याचिकाओं पर संविधान पीठ सुनवाई करेगी या छोटी पीठ, इस पर कोर्ट बाद में फैसला देगा।

सरकार बोली, रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं राफेल के गोपनीय दस्तावेज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ सुप्रीम कोर्ट से कहा, इन दस्तावेज पर नहीं होनी चाहिए सुनवाई

▸ पुनर्विचार याचिका में केंद्र पर तथ्य छिपाने के आरोप, 14 को फिर सुनवाई

राफेल सौदा मामले में एक अंग्रेजी अखबार में छपे दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट में रखे जाने का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी किए गए हैं। मामले की जांच हो रही है। सरकार मुकदमा करेगी। कोर्ट को इन दस्तावेजों पर विचार नहीं करना चाहिए। जबकि दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सरकार की दलीलों को धमकी बताते हुए इसे न्यायालय की अवमानना बताया। उधर, कोर्ट ने भी सरकार को असहज करने वाले तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा, चोरी के दस्तावेज भी अगर प्रासंगिक हैं तो कोर्ट उन पर विचार कर सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण से दस्तावेजों का स्रोत बताने को कहा। मामले पर कोर्ट 14 मार्च को फिर सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने भारत-फ्रांस के बीच हुए राफेल करार को चुनौती देने वाली सारी याचिकाएं 14 दिसंबर को खारिज कर सरकार को क्लीनचिट दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और वकील प्रशांत भूषण ने साझा पुनर्विचार याचिका दायर की है। इसकी सुनवाई प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। पीठ में जस्टिस एसके कौल व केएम जोसेफ भी हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की है लेकिन कोर्ट ने सिंह की कोर्ट पर की गई टिप्पणियों को देखते हुए उनकी याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने उनके बारे में आदेश देने के भी संकेत दिए।

बहस के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा, कोर्ट ने उनकी मांग पर विचार नहीं किया। उन्होंने मांग की थी कि उनकी ओर से राफेल मामले में सीबीआइ को दी गई शिकायत पर सीबीआइ को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया जाए। भूषण ने गत आठ फरवरी को हिंदू अखबार में राफेल सौदे से संबंधित रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों का हवाला देते हुए छपी खबर और उनके आधार पर कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। भूषण ने कहा कि सरकार ने कोर्ट के सामने राफेल मामले में सही तथ्य पेश नहीं किए हैं, इसलिए धोखाधड़ी का मामला बनता है।

पेश नहीं हो सकते गोपनीय दस्तावेज : केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि जिन दस्तावेजों का हवाला दिया जा रहा है वे रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं। मंत्रालय के किसी पूर्व या वर्तमान कर्मचारी ने चोरी की है। सरकार इसकी जांच करा रही है और सभी के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। यह भी कहा कि ये गोपनीय दस्तावेज हैं और इन्हें पेश नहीं किया जा सकता।

न्यायिक फोरम का राजनीतिक इस्तेमाल : वेणुगोपाल ने भूषण के आरोपों को राजनीतिक बताते हुए कहा कि इसके लिए कोर्ट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट इस मामले में पर्यवेक्षक हो सकता है, इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी सरकार को अस्थिर बनाती है।

रक्षा सौदों पर सुनवाई राष्ट्रहित में नहीं पेज>>3

सीजीओ कॉम्प्लेक्स में लगी आग

दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन की पांचवीं मंजिल पर बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। ड्यूटी पर तैनात सीआइएसएफ के सब इंस्पेक्टर एमपी गोदारा की धुएं से दम घुट जाने से मौत हो गई। दमकल की 25 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ज्ञात हो, 13 मंजिला इस भवन में जल, पेट्रोलियम, खाद्य समेत कई मंत्रालयों के ऑफिस हैं। (खबर पेज-2 पर)

अगस्ता मामले में राजीव सक्सेना ने दर्ज कराए बयान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित दुबई निवासी व्यापारी राजीव सक्सेना ने बुधवार को पटियाला हाउस के अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के चैंबर में चार घंटे तक अपने बयान दर्ज कराए। सक्सेना के बयान को अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को देगी, जो जांच-पड़ताल के बाद कोर्ट को बताएगी की बयान पर्याप्त है या नहीं? अगर जांच एजेंसी संतुष्ट हो गई तो सक्सेना को सरकारी गवाह बनाया जाएगा।

बीमारी के कारण जमानत पर चल रहे राजीव ने सरकारी गवाह बनने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। इसमें कहा गया है कि उन्होंने जांच एजेंसी को पूरा सहयोग किया है। ईडी का आरोप है कि सक्सेना ने गौतम खेतान के साथ साठगांठ कर अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में 12 वीवीआइपी हेलीकॉप्टरों के करार को प्रभावित करने के लिए नेताओं, नौकरशाहों और वायुसेना अफसरों को भुगतान करने के उद्देश्य से वैश्विक कारपोरेट ढांचा प्रदान किया। इस मामले में वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी भी आरोपित हैं।

सर्वेक्षण-2019

स्वच्छता में इंदौर ने लगातार तीसरे साल भी मारी बाजी

केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में अंबिकापुर दूसरे और मैसूर स्वच्छता के तीसरे पायदान पर, उत्तर प्रदेश और बिहार की शहरी सफाई में नहीं हो रहा सुधार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर लगातार तीसरे साल भी राष्ट्रीय स्तर पर पहले पायदान पर है, जबकि अंबिकापुर दूसरे और मैसूर तीसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश के शहरों ने स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इसके मुकाबले उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की शहरी तस्वीर में संतोषजनक सुधार नहीं हुआ है। टॉप-20 की सूची में गाजियाबाद ने 13वां स्थान प्राप्त किया है।

स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 की बुधवार को घोषित रिपोर्ट में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और दक्षिणी राज्यों के शहरों में स्वच्छता का प्रदर्शन शानदार रहा है। छोटे शहरों की श्रेणी में उत्तरी राज्यों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के छोटे शहरों में स्वच्छता का स्तर बहुत ऊंचा रहा है। एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की राष्ट्रीय स्तर की एक सौ की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के छह शहरों के नाम हैं, जिनमें 13वें स्थान पर गाजियाबाद, 63वें स्थान पर कानपुर, 68वें स्थान पर झांसी, 79वें स्थान पर वाराणसी, 85वें स्थान पर आगरा और 92वें स्थान पर सहारनपुर का नाम दर्ज है। देश की सबसे स्वच्छ राजधानी में भोपाल पहले स्थान पर है। दस लाख की आबादी से बड़े शहरों की सूची में अहमदाबाद प्रथम रहा है। तीन से पांच लाख की आबादी वाले मझोले शहरों की श्रेणी में उज्जैन सबसे ऊपर है। तीन लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों की श्रेणी में एनडीएमसी दिल्ली ने बाजी मारी है। देश के सबसे स्वच्छ छावनी क्षेत्रों में दिल्ली कैंट अव्वल रहा है। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन वर्ग में उत्तराखंड का गौचर रहा है।

स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड-2019 प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक समारोह में सम्मानित किया। छोटे शहरों की सूची में मथुरा-वृंदावन को तेजी से बदलते शहर का पुरस्कार दिया गया है। इस स्वच्छता सर्वेक्षण को दुनिया का पहला और सबसे बड़ा माना जा रहा है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, स्वच्छता को लेकर लोगों की सोच में आया बदलाव अधिक अहम है, जिसकी सख्त जरूरत थी। सामुदायिक से पहले व्यक्तिगत स्वच्छता ज्यादा जरूरी है। स्वच्छता को स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल कराने की जरूरत है।

स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 कई मायनों में पिछले सर्वेक्षणों से अलग था, इसमें देश के सभी 4,237 शहरी निकायों को शामिल किया गया। इनमें अलग-अलग वर्ग में रैंकिंग जारी की गई। इस बार छोटे शहरों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। कई शहरों में स्वच्छता के साथ कूड़ा निपटान के नए-नए तरीकों को अपनाया है।

नई दिल्ली में बुधवार को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार-2019 समारोह में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों मध्य प्रदेश के आवास एवं शहरी विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने ग्रहण किया। प्रेट्र

सिर्फ पश्चिम बंगाल ने नहीं लिया सर्वेक्षण में हिस्सा

नई दिल्ली, प्रेट्र : पश्चिम बंगाल ही देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जिसने केंद्र सरकार के इस स्वच्छता सर्वेक्षण में हिस्सा नहीं लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में भी तृणमूल कांग्रेस के शासन वाले इस राज्य ने इस सर्वेक्षण में हिस्सा नहीं लिया था।

गहलोत का आइएएस अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने से इन्कार

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अधिकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजने से इन्कार कर दिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार को पत्र लिखकर प्रतिनियुक्ति पर आइएएस अधिकारियों की मांग की थी।

केंद्र सरकार ने अपने यहां आइएएस अफसरों की कमी का हवाला देते हुए राज्य सरकार से इनकी मांग की थी । इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य के कार्मिक विभाग को पत्र लिखा था । इस पर कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव रोली सिंह ने मंजूरी के लिए फाइल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भेजी थी, लेकिन, मुख्यमंत्री ने फाइल को मंजूरी दिए बिना वापस कार्मिक विभाग को लौटा दिया है ।

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने राज्य में अफसरों की कमी का हवाला देते हुए केंद्र की मांग को खारिज कर दिया है। राज्य में तय कोटे 350 के मुकाबले 270 आइएएस अधिकारी हैं। करीब तीन दर्जन अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में नियुक्त हैं। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री सरकारी दस्तावेज बने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को जमीनी धरातल पर उतारने चाहते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की जरूरत हैं। इसी के मद्देनजर उन्होंने केंद्र की मांग खारिज कर दी है।

अफसरों की कमी का हवाला दे केंद्र की मांग को किया खारिज